

गोबर/बायो गैस

I. कार्यक्रम का उद्देश्य:-

बिहार राज्य में गोबर आधारित गोबर/बायोगैस का महत्व अत्यधिक है। ग्रामीण क्षेत्र में जलावन के लिए गोबर का प्रयोग उपला/गोइठा के रूप में किया जाता है, वहाँ उर्जा हेतु गोबर का सर्वप्रथम उपयोग बायो-गैस के रूप में तथा प्राप्त स्लरी का उपयोग वर्मी कम्पोस्ट से उर्वरक प्राप्त करने हेतु किया जाए तो यह निष्चित तौर पर उर्जा के साथ-साथ उर्वरक प्राप्त करने का समन्वय स्थापित करता है। गैर परम्परागत ऊर्जा के स्रोतों में बायो गैस अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके उत्पादन में घरेलू एवं खेती के अपषिष्ट पदार्थों का उपयोग होता है। इन अपषिष्ट पदार्थों को एक विषिष्ट संयंत्र में डालकर प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा बायोगैस उत्पादित किया जाता है। इस विधि से उत्पादित गैस में मूलतः मिथेन, जो एक ज्वलनशील गैस है, प्राप्त होती है और इसका उपयोग आसानी से गृह कार्यों यथा खाना बनाने, रौषनी की व्यवस्था करने तथा इसके अतिरिक्त कृषिप्रयोगी संयंत्रों के संचालन में किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप अवधेष के रूप में स्लरी की प्राप्ति होती है, जिससे 25–30 दिन में वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया जा सकता है। दो घनमीटर के बायो-गैस संयंत्र से माह में करीब 1.5 से 2 LPG सिलेन्डर के बराबर गैस प्राप्त होता है।

- II. गोबर/बायोगैस इकाई के लिए अनुदान का लाभ वैसे किसानों को देय होगा जो खेती कर रहे हैं एवं जिनके पास पशुधन है। एक परिवार से एक ही किसान/आवेदक गोबर/बायोगैस इकाई हेतु अधिकतम 01 इकाई के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
- III. गोबर/बायोगैस इकाई के स्थापना के लिए दीनबन्धु मॉडल अपनाया जाता है इसके लिए कम-से-कम 10'X12' निजी जमीन उपलब्ध हो।
- IV. गोबर/बायोगैस निर्माण पर कुल लागत मूल्य 42,000 रु0 का 50 प्रतिष्ठत या अधिकतम 21,000 रु0/इकाई दोनों में से जो कम हो, अनुदान राषि देय है एवं 1500 रु0 (टर्न-की राषि), कुल 22,500 रु0 देय है जिसकी विवरणी इस प्रकार है—

मॉडल	क्षमता	अनुमानित लागत मूल्य (रुपये में)	अनुदान भुगतान प्रति इकाई (रुपये में)
दीनबन्धु	02 घनमीटर	42,000.00	लागत मूल्य का 50 प्रतिष्ठत या 21,000 (दोनों में से जो कम हो) + 1500 (टर्न-की राषि), कुल 22,500. 00

- V. प्रत्येक गोबर/बायोगैस संयंत्र पर साईन बोर्ड (3'x4') लगाना अनिवार्य है जिसमें निम्नलिखित विवरणी दर्ज की जानी है:—

कृषि विभाग, बिहार सरकार

योजना का नाम	—
लाभार्थी का नाम	—
ग्राम	—
संयंत्र	— बायो/गोबर गैस
प्राक्कलन राष्ट्र	—
वित्तीय वर्ष	—

- VI.** गोबर/बायोगैस संयंत्र का नक्षा एवं प्राक्कलन अनुसूची-06 एवं अनुसूची-07 क्रमषः पर संलग्न है।
- VII.** अनुदान प्राप्त उत्पादन इकाई से गोबर/बायोगैस का उत्पादन आगामी 05 वर्षों तक करना अनिवार्य होगा। किसानों को आवेदन के साथ उक्त आषय का शपथ पत्र करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र अनुसूची-01 में संलग्न है।
- VIII.** जिन कृषकों को गोबर/बायो गैस संयंत्र की स्थापना हेतु विगत वर्षों में किसी भी योजना (जैविक खेती प्रोत्साहन योजना/के०वी०आई०सी०/एम०एन०आर०ई० इत्यादि) से लाभ मिल चुका है वैसे किसानों को गोबर/बायो गैस संयंत्र स्थापना हेतु पुनः अनुदान का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- IX. आवेदन की विधि:**—

- (क) योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल **dbtagriculture.bihar.gov.in** पर पंजीकृत होना अनिवार्य होगातथा ऑन-लाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि—**31.10.2024** निर्धारित है।
- (ख) योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर किया जायेगा।
- (ग) इच्छुक किसान ऑन-लाईन आवेदन पत्र देंगे। इच्छुक किसान गोबर/बायो गैस संयंत्र स्थापना करने के लिए ऑन-लाईन विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ स्व-अभिप्रमाणित पहचान पत्र, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र/जमीन का रसीद/जमीन से संबंधित अन्य कागजात संलग्न करेंगे।
- (घ) किसान, कृषि विभाग के वेबसाईट **dbtagriculture.bihar.gov.in** पर उपलब्ध “अनुदान के लिए आवेदन” मेनू पर क्लिक करेंगे और अनुदान के प्रकार यानि “गोबर/बायोगैस इकाई अनुदान” का चयन करेंगे।
- (ङ.) किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर/वसुधा केन्द्र से ऑन-लाईन गोबर/बायो गैस इकाई अनुदान आवेदन के लिए सम्पर्क कर सकते हैं अथवा स्वयं अपने मोबाइल/लैपटॉप से गोबर/बायो गैस इकाई अनुदान के लिए ऑन-लाईन आवेदन कर सकते हैं।

X. लक्ष्य का निर्धारण—

जिला कृषि पदाधिकारी जिलान्तर्गत स्वीकृत लक्ष्य को सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में क्रमशः **78.56%, 20% एवं 1.44%** के अनुपात में लक्ष्य का विखंडन कर जिला के लिए लक्ष्य का निर्धारण करेंगे।

XI. आवेदन पत्र की जाँच एवं स्वीकृति की प्रक्रिया—

किसान द्वारा समर्पित ऑन—लाईन आवेदन का निष्पादन का कार्य संबंधित कृषि समन्वयक द्वारा की जायेगी। आवेदन के निष्पादन के पूर्व इस योजना के तहत निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन होने की बात से संतुष्ट होते हुए अग्रसारित की कार्रवाई करेंगे।

आवेदन के निष्पादन के क्रम में निम्न बातों पर विषेष ध्यान रखने की आवश्यकता है:-

(क) किसानों द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ ऑन—लाईन आवेदन एवं शपथ—पत्र (**अनुसूची—01**) अपलोड करने के उपरांत आवेदन कृषि समन्वयक को अग्रसारित हो जाएगा।

(ख) कृषि समन्वयक जाँच अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं की प्रक्रिया App के माध्यम से करेंगे—

- **अनुसूची—02** ऑन—लाईन अपलोड करना।
- गोबर/बायोगैस इकाई निर्माण स्थल का किसान के साथ Geo-Tagged फोटोग्राफ अपलोड करना।

जाँच के क्रम में यह देखना आवश्यक होगा कि गोबर/बायोगैस इकाई के लिए कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ, पशु एवं गोबर आदि उपलब्ध है अथवा नहीं।

(ग) कृषि समन्वयक अधिकतम 07 (सात) दिनों के अंदर आवेदन की जाँच कर या तो कारण सहित अस्वीकृत कर देंगे या फिर अपनी अनुषंसा के साथ आवेदन, जिला कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित करना सुनिष्चित करेंगे। अगर उक्त अवधि के अंदर आवेदन सत्यापित नहीं की जाती है तो यह समझा जाएगा कि आवेदन सही है एवं आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को स्वतः अग्रसारित (Auto forward) हो जाएगा।

(घ) जिला कृषि पदाधिकारी अपने Log-in में प्राप्त आवेदनों की जाँच 05 (पाँच) दिनों के अंदर कारण सहित अस्वीकृत या स्वीकृत करेंगे तथा संबंधित आवेदक को **अनुसूची—03** में गोबर/बायोगैस इकाई के निर्माण हेतु स्वीकृति पत्र निर्गत करते हुए ऑन—लाईन अपलोड करना सुनिष्चित करेंगे।

(ङ.) आवेदन का अस्वीकृत या अनुषंसा के साथ अग्रसारण की सूचना भी SMS के माध्यम से आवेदन के समय दिये गये मोबाइल संख्या पर किसान को दी जायेगी।

XII. अनुदान भुगतान की प्रक्रिया:-

(क) स्वीकृति पत्र में किसानों को देय अनुदान भुगतान की प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख किया गया है।

(ख) लाभार्थी किसान द्वारा गोबर/बायो गैस इकाई का निर्माण स्वीकृति पत्र प्राप्त होने से 40 दिन के अंदर गोबर/बायो गैस उत्पादन होने के उपरान्त **अनुसूची—04** में खाता संख्या सहित अनुदान दावा कृषि समन्वयक को समर्पित किया जायेगा।

(ग) अनुसूची—04 में अनुदान दावा प्राप्त होने के 03 (तीन) दिनों के अंदर कृषि समन्वयक **अनुसूची—05** में अनुदान दावे का सत्यापन कर, ऑन—लाईन अपलोड करेंगे।

- (घ) जिला कृषि पदाधिकारी अनुसूची-04 एवं अनुसूची-05 प्राप्त होने पर सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) से सत्यापन करवाते हुए प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अनुषंसा के आधार पर 10 दिनों के अंदर अनुदान भुगतान की कार्रवाई करना पूर्ण करेंगे तथा भुगतान उपरांत लाभुक की विवरणी DBT Portal पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिष्चित करेंगे।
- (ङ.) अनुदान दावा स्वीकृति पत्र के निर्गत तिथि से 25 दिनों के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण करने एवं निर्गत तिथि से 40 दिनों के अंदर गोबर/बायो गैस उत्पादन करने के पश्चात् करना अनिवार्य होगा। अनुदान दावा का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष 2024–25 के मार्च–25 के द्वितीय सप्ताह तक ही किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् गोबर/बायो गैस इकाई अनुदान दावा राषि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (च) गोबर/बायो गैस इकाई का अनुदान भुगतान राशि D.B.T. (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभान्वित किसान के खाते में जमा करने का निदेश है, जिसका पूर्णतः अनुपालन किया जाय।
- (छ) किसानों को राजी करने, योजना को प्रचारित करने तथा संयंत्र स्थापना में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए टर्न-की (बायो गैस संयंत्र से निर्धारित मात्रा में गैस निकलने के उपरांत) के आधार पर एन0जी0ओ0 अथवा कम्पनी प्रतिनिधि को अलग से 1500.00 रु0 प्रति संयंत्र (टर्न की राषि) प्रोत्साहन राषि किसान से अनुसूची-09 में संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत राषि का भुगतान डी.बी.टी. द्वारा किया जायेगा।
- (ज) अनुदान हेतु गोबर पर व्यय की गई राषि सम्मिलित नहीं होगी।

XIII. संस्था/कम्पनी के चयन की प्रक्रिया एवं शर्तें—

- (क) पूर्व के सूचीबद्ध संस्था/कम्पनी में से ईच्छुक संस्था/कम्पनी का निबंधन पत्र, बाईलॉज, कार्य अनुभव का प्रमाण, टर्न ओवर का प्रतिवेदन, किसी भी राज्य में काली सूची में दर्ज नहीं है, इस आषय का शपथ—पत्र एवं प्रषिक्षित टेक्नीषियन की सूची आदि के आधार पर संस्था/कम्पनी की सूची तैयार कर राज्य स्तर पर उन्हें सूचीबद्ध किया जायेगा।
- (ख) सूचीबद्ध संस्था/कम्पनी में से किसान अपनी इच्छानुसार किसी भी संस्था/कम्पनी का चुनाव कर सकेंगे।
- (ग) कार्य कराने के पूर्व यह सुनिष्चित किया जाय कि संबंधित संस्था/कम्पनी के पास संयंत्र स्थापना हेतु प्रषिक्षित टेक्नीषियन उपलब्ध है।
- (घ) आवेदन स्वीकृत करने के पश्चात् संस्था/कम्पनी द्वारा आपूरित संयंत्र की गुणवत्ता का सत्यापन जिला कृषि पदाधिकारी/सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) द्वारा किया जायेगा।

XIV. संस्था/कम्पनी का दायित्व—

- (क) किसानों को गोबर/बायो गैस इकाई संयंत्र स्थापना की स्वीकृति पत्र निर्गत होने की तिथि से 40 दिनों के अंदर संयंत्र स्थापना का कार्य पूर्ण कर गैस उत्पादन प्रारंभ कराना सुनिष्चित करेंगे।
- (ख) गोबर/बायोगैस इकाई का पाक्षिक प्रगति प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी एवं कृषि निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।
- (ग) संयंत्र स्थापित करने के पश्चात् तीन साल तक गैस उत्पादन होता रहे, इसके लिए किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।

गोबर/बायो गैस संयंत्र निर्माण हेतु समय—सारणी

क्रं सं०	संबंधित आवेदक/ कर्मी/पदाधिकारी का दायित्व	प्रक्रिया	कार्य दिवस	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	आवेदक/किसान	DBT Portal पर किसान द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ विहित प्रपत्र में ॉन—लाईन द्वारा आवेदन	31.10.2024 तक	DBT Portal के माध्यम से।
2	कृषि समन्वयक	आवेदन, पशु एवं रथल का सत्यापन तथा अनुषंसा/अस्वीकृति (कारण सहित)	07 दिन	आवेदन प्राप्ति के 07 दिनों के अंदर मोबाइल ऐप द्वारा Geo Tagged फोटो एवं प्रपत्र के साथ अपलोड करना। कृषि समन्वयक के द्वारा निर्धारित समय में सत्यापित नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को स्व—अग्रसारित हो जाएगा।
3	जिला कृषि पदाधिकारी	आवेदन की स्वीकृति एवं कार्यादेश निर्गत/अस्वीकृत करने पर कारण सहित	05 दिन	आवेदन प्राप्ति के 05 कार्य दिवस के अंदर वेबसाईट के माध्यम से।
4	आवेदक/किसान	स्वीकृति पत्र मिलने के उपरांत निर्माण	25 दिन	25 दिनों के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण करना आवश्यक है। निर्माण की सूचना संबंधित कृषि समन्वयक को देना होगा।
5	कृषि समन्वयक	निर्माण के फोटोग्राफ को अपलोड करना (Geo Tagged फोटो सहित)	निर्माण करते समय	किसान से सूचना प्राप्त होने तथा स्वयं निरीक्षण करने के समय।
6	आवेदक/किसान	निर्माण के उपरांत गोबर/बायो गैस का उत्पादन	15 दिन	स्वीकृति पत्र निर्गत तिथि से 40 दिनों के अंदर गोबर/बायो गैस का उत्पादन
7	आवेदक/किसान	अनुदान दावा		गोबर/बायो गैस का उत्पादन होने पर अनुसूची—04 के अनुसार।
8	कृषि समन्वयक	सत्यापन एवं आवेदन का अग्रसारण	03 दिन	अनुसूची—04 एवं अनुसूची—05 के साथ App के माध्यम से अपलोड करना।
9	जिला कृषि पदाधिकारी	सत्यापनोपरांत एवं प्राप्त अनुषंसा के आलोक में अनुदान का भुगतान करना एवं लाभुक की विवरणी अपलोड करना।	10 दिन	अनुसूची—04 एवं अनुसूची—05 प्राप्त होने के उपरांत सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) से अनुसूची—08 में सत्यापनोपरांत एवं प्राप्त अनुषंसा के आलोक में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

ऑन-लाईन

गोबर/बायो गैस संयंत्र स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र

1. किसान का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. किसान का पूर्ण पता :

ग्राम	पोस्ट	प्रखण्ड
थाना	जिला	दूरभाष/मो०
4. किसान का श्रेणी : (का निशान लगायें)
 (क) कृषक मजदूर/सीमान्त/लघु/मध्यम/बड़े किसान
 (ख) सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक
 (ग) पुरुष/महिला
5. गोबर गैस का प्रकार—दीनबंधु मॉडल
6. गोबर गैस संयंत्र की क्षमता)– 02 घनमीटर
7. तकनीकी सहायता प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता का नाम—
8. भूमि का विवरण (जहाँ गोबर/बायो गैस संयंत्र स्थापित किया जायेगा)—
 मौजा..... खाता संख्या..... प्लॉट संख्या.....
 रकबा.....
9. चौहड़ी—उत्तर—..... दक्षिण—.....
 पूरब—..... पश्चिम—.....
10. गोबर के लिए पषुओं की सं—
11. बैंक खाता सं..... बैंक का नाम..... IFSC कोड सं.

फोटोग्राफ

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे आवेदन में उपरोक्त वर्णित सारी सूचनाएँ सही हैं। मेरे द्वारा बायोगैस संयंत्र स्वयं की जमीन पर स्थापित किया जायेगा। संयंत्र की जगह के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर इसकी सारी जवाबदेही मेरी होगी। मेरे द्वारा गोबर/बायो गैस स्थापित करने हेतु सहायता राषि कहीं से नहीं लिया गया है। मुझे ज्ञात है कि गोबर/बायो गैस संयंत्र स्थापित होने के उपरांत तथा गोबर/बायो गैस संयंत्र से गैस निकलने पर ही अनुदान देय होगा। मुझे ज्ञात है कि अनुदान राशि का दुरुपयोग प्रमाणित होने पर मुझे अनुदान की राशि लौटानी होगी एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

किसान का हस्ताक्षर

अनुसूची-01

गोबर/बायो गैस इकाई की स्थापना हेतु किसान का शपथ-पत्र

मैं.....पिता.....ग्राम.....

थाना.....पो.....जिला.....शपथपूर्वक व्यान करता

हूँ कि मेरे द्वारा अनुदान प्राप्त गोबर/बायो गैस इकाई से कम से कम 05 वर्ष तक गोबर/बायो गैस का उत्पादन किया जायेगा।

1. 05 वर्ष से पूर्व गोबर/बायो गैस इकाई से उत्पादन बंद होने की स्थिति में अनुदान राशि की वसूली की जा सकेगी।
2. मुझे ज्ञात है कि अनुदान राशि का दुरुपयोग प्रमाणित होने पर मुझे अनुदान की राशि लौटानी होगी एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के लिए मैं स्वयं जिम्मेवार होऊँगा।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

अनुसूची-02

गोबर/बायो गैस आवेदन का जाँच-पत्र

1. किसान/आवेदक का नाम—
2. पिता/पति का नाम—
3. ग्राम.....पंचायत.....प्रखण्ड.....ज़िला.....
4. किसान अपने गांव में रहते हैं (हॉ/नहीं)—
5. गोबर/बायो गैस संयंत्र स्थापना हेतु जमीन की उपलब्धता (निजी/लीज)—
6. जमीन की चौहदी—
उत्तर.....दक्षिण
- पूरब.....पश्चिम.....
7. पशुधन की उपलब्धता (संख्या में)—
8. गोबर की उपलब्धता—
9. स्पष्ट मतव्य—

तिथि—.....

कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर

नाम—

अनुसूची-04

गोबर/बायो गैस के अनुदान दावा हेतु किसान/आवेदक द्वारा समर्पित किया जाने वाला आवेदन पत्र का प्रपत्र

1. किसान/आवेदक का नाम—
2. पिता/पति का नाम—
3. ग्राम..... पंचायत प्रखण्ड.....जिला.....
4. बैंक खाता सं.....बैंक का नाम.....
5. जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा निर्गत स्वीकृति पत्र सं० दिनांक
6. गोबर/बायो गैस का प्रकार— दीनबंधु मॉडल
7. गोबर/बायो गैस संयंत्र स्थापित करने वाले प्रतिष्ठान का नाम, पता एवं मोबाइल नं०—
(जिससे संरक्षण कराया गया है).
.....
.....
8. गोबर/बायो गैस का आयतन—02 घनमीटर
9. मेरे द्वारा अनुदान दावे के प्रमाण स्वरूप गोबर/बायो गैस संयंत्र का फोटोग्राफ कृषि समन्वयक के साथ समर्पित किया गया है
10. मुझे.....बैंक.....शाखा के मेरे खाता संख्या—.....
.....जिसका IFSC Code..... है, मैं अनुदान राशि का भुगतान किया जाय।

घोषणा

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने गोबर/बायो गैस संयंत्र का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है। मेरागोबर/बायो गैस संयंत्र ठीक से कार्य कर रहा है और गैस भी निकल रहा है तथा इससे मैं संतुष्ट हूँ। उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सही है। कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर मेरे विरुद्ध संवैद्यानिक कार्रवाई की जा सकती है।

किसान का नाम/हस्ताक्षर/तिथि

(अनुदान दावे में किसान अपना नाम एवं हस्ताक्षर तथा तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे)

अनुसूची-05

गोबर/बायो गैस संयंत्र के अनुदान दावे का सत्यापन

1. किसान/आवेदक का नाम :
 2. पिता/पति का नाम :
 3. किसान का पूर्ण पता :
ग्राम पंचायत पोस्ट प्रखण्ड
थाना जिला दूरभाष/मो०
 4. किसान का श्रेणी : (का निशान लगायें)
(क) कृषक मजदूर/सीमान्त/लघु/मध्यम/बड़े किसान
(ख) सामान्य/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक
(ग) पुरुष/महिला
 5. गोबर/बायो गैस का प्रकार—दीनबंधु मॉडल
 6. गोबर/बायो गैस संयंत्र का आयतन— 02 घनमीटर
 7. भूमि का विवरण—
मौजा खाता संख्या प्लॉट संख्या रक्का.....
 8. चौहड़ी—
उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम
 9. बायोगैस संयंत्र स्थापित करने वाले संस्था/कम्पनी का नाम, पता एवं मोबाइल नं०—.....

 10. गोबर/बायो गैस संयंत्र शौचालय से जुड़ा हुआ है अथवा नहीं—
 11. गोबर/बायो गैस संयंत्र ठीक से कार्य कर रहा है अथवा नहीं—
 12. गोबर/बायो गैस स्थापना एवं सत्यापन की तिथि—
 13. गोबर/बायो गैस का चुल्हा एवं अन्य सामग्री सहित कुल मूल्य—
 14. लाभार्थी द्वारा भुगतान की गयी राष्ट्रि—
 15. अनुदान की राष्ट्रि—


मैंने लाभार्थी के घर जाकर स्थापित गोबर/बायो गैस का निरीक्षण किया है। लाभार्थी कृषक ने उपर्युक्त प्रतिष्ठान के माध्यम से अपने मनपसंद गोबर/बायो गैस संयंत्र स्थापित कर लिया है तथा यह सही—सही कार्य कर रहा है। इसलिए इन्हें अनुदान देने की अनुवंशसा की जाती है।

३५

कषि समन्वयक का हस्ताक्षर

१८

Annexure - 6 अन्तर्गत - 6
वाटोजैस/पारगैस का नियंत्रण (2 दिन विधि) (184)



31/03/2011 - 07

(8)

Model Estimate for Construction of 2 m³ Bio-gas Plant

1. Pit digging – 1.25 m x 3.0 m $\pi \times (\frac{1.25}{2})^2 \times 3.0 = 3.68 \text{ m}^3$ @ 130.80/m ³	Rs. 481.34
2. Cost of Bricks (2800 Nos) @ 6012.0/0/00	Rs. 16833.60
3. Cost of Cement (22 bags) @ 310/bag	Rs. 6820.00
4. Sand (9 m ³) @ 145.20/m ³	Rs. 1306.80
5. Total No. of labour required, 13 No. @ 242.0/No.	Rs. 3146.00
6. Total No. of mansion required, 4 No. @ 295.0/No.	Rs. 1180.00
7. Clay or metal pipe (20 cm dia) 10m length @ 174.30/m	Rs. 1743.00
8. Copper wire screening (25 cm x 25 cm)	Rs. 500.00
9. Rubber or Plastic hose	Rs. 150.00
10. Gas outlet pipe (3 cm dia)	Rs. 600.00
11. Pipe (7.5 cm dia) 1.00 m length (gas cap guide)	Rs. 500.00
12. Pipe (7.0 cm dia) 2.0 m length (Centre guide)	Rs. 800.00
13. Mild steel sheet (0.32 mm to 1.63 mm thick)-4.5 m ² Size of gas cap – dia – 1.15 m height – 1.00 m	Rs. 2500.00
14. Mild steel Rod (for bracing) 25 m length (10 mm) Approx. weight – 1.54 kg or 0.00154 MT @ 46947.50/MT	
15. Water proof coating (paint/tar/asphalt etc) 3.5 l @240.39/l	Rs. 70.42
16. Cost of tools as welding equipment, shovels, metal saw blades etc	Rs. 841.36
17. Carriage cost of materials and equipments	Rs. 1500.00
	Rs. 3000.00

Total :- Rs. 41972.11
Or, say Rs. 42000.00
(Rs. Forty Two thousand only)

21/03/2011
आम नियन्त्रक (एन्सीएसी)
वायु का बोरो (एन्सीएसी)
बिहार, पटना

21/03/2011
नामेन्द्र सहनी
प्राचीरी-उद्ध-सोला फैदमिकन्सी
कृषि निवेशालय, बिहार, पटना

अनुसूची-09

गोबर/बायो गैस संयंत्र स्थापना हेतु संतुष्टि प्रमाण पत्र

मैं.....पिता / पति.....ग्राम.....पंचायत

पो0.....थाना.....प्रखंड.....जिला.....बिहार का रहने
वाला / वाली हूँ। मैं निम्नलिखित बातों का सत्य एवं निष्ठापूर्वक शपथ लेता / लेती हूँ
कि—

1. यह कि मुझे गोबर/बायो गैस संयंत्र के दीनबन्धु मॉडल के स्थापना हेतु जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ था, जिसका स्वीकृति पत्र संख्या.....एवं दिनांक..... है।
2. यह कि मैंने पूरी राष्ट्र लगाकर 02 (दो) घनमीटर का उपर्युक्त मॉडल का गोबर/बायो गैस संयंत्र स्थापित कराया है।
3. यह कि मेरा गोबर/बायो गैस संयंत्र ठीक से कार्य कर रहा है और गैस का उत्पादन हो रहा है तथा मैं इससे संतुष्ट हूँ।
4. यह कि दो घनमीटर क्षमता के गोबर/बायो गैस संयंत्र के उपर्युक्त मॉडल के लिए टर्न की कुल राष्ट्र 1500 रु0 गोबर/बायो गैस संयंत्र स्थापित करने वाले प्रतिष्ठान मे0..... को भुगतान किया जा सकता है।

गवाह—

आवेदक का हस्ताक्षर

..... नाम.....
 पता.....
 मोबाइल नं0.....
 तिथि.....